संख्या-19/2016/326/एक-6-2016-15(3)/2016

प्रेषक,

डी0के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2016**

विषय: अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें- 099- राजस्व बोर्ड-03 -राजस्व परिषद के अन्तर्गत 16 व्यावसायिक मद में बचतो से पुनर्विनियोग द्वारा रू0 33.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5366/14 (बजट)-2052/2015-16, दिनांक 24-02-2016 एवं पत्र संख्या-5920/14(बजट)-2052/2015-16 दिनांक 15 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व संहिता लागू/तैयार किये जाने हेतु गठित लीगल समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक को मानदेय के भुगतान हेतु रू0 25.00 लाख, (रू0 पच्चीस लाख मात्र) राजस्व परिषद लखनऊ में आउट सोर्स पर कार्यरत प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर सहित 10 कार्मिकों को माह जनवरी एवं फरवरी, 2016 के भुगतान हेतु रू0 2,69,202.00 (रू0 दो लाख उन्हत्तर हजार दो सौ दो मात्र) एवं राजा महमूदाबाद की तथाकथित शत्रु सम्पत्तियों से सम्बन्धित विभिन्न वादों की पैरवी हेतु आबद्ध विशेष अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु रू0 7,62,447.00 (रू0 सात लाख बासठ हजार चार सौ सैंतालिस मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये जाने हेतु कुल 33.72 लाख (रू0 तैतीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि बचतों से पुनर्विनियोग (पुनर्विनियोग से सम्बन्धित प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1 संलग्न) के माध्यम से आहरण कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा। अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक " 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद के अन्तर्गत 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान " मद में संलग्नक में उल्लिखित मानक मद के सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक :यथोक्त ।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
सचिव।

संख्या-19 / 2016 / 326(1) / एक-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद लेखा परीक्षा-1/2
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
5- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति के लिए आवेदन

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशो को भलीभांति देख लिया जाय)

(बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158 देखे)

अनुदान संख्या का नाम: 52 राजस्व विभाग **वित्तीय वर्ष 2015-16** **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन- पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक 2052- सचिवालय समान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड -03-राजस्व परिषद - 03- मंहगाई भत्ता 2052-00-099-03-00-03	**111198**	**3372**	**3372**	**3372**	**107826**
योग	**111198**	**3372**	**3372**	**3372**	**107826**
निम्नलिखित निधियो में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित**	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-					
16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान					
2052 00 099 03 00 16	**6000**	**9372**	**3372**	**3372**	**9372**
योग:-	**6000**	**9372**	**3372**	**3372**	**9372**

(1) सतम्भ-3 में उपलब्ध बचज का कारण नियमानुसार है:-
इस मद में पदों के रिक्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:-
उक्त मद में प्रविधाति धनराशि परिषद की आवश्यकताओं से कम है, अत: परिषद की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्यक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आरई-705/ई-5-295/दस-2016 दिनांक 29-3-2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव, राजस्व विभाग

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव, वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2016/326/एक-6-2016 दिनांक 30 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-14 - बजट लखनऊ
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय- नियन्त्रण) अनुभाग- 5
5- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों)

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।